संख्या- 01/2025/313-63-व0उ0-2025-61(एच)/2020

प्रेषक,

अनिल कुमार सागर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय,
उ0प्र0,कानपुर।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 15 अप्रैल, 2025**

विषय- उत्तर प्रदेश हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एवं गारमेन्टिंग पॉलिसी-2017 के अन्तर्गत छूटे हुये पात्र इकाईयों को अनुदान प्रदान करने विषयक।

महोदय,

उत्तर प्रदेश में वस्त्र उद्योग इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने एवं पूँजी निवेशको आकर्षित करने तथा अधिकाधिक रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एवं गारमेन्टिंग पॉलिसी-2017, दिनांक 25-01-2018 को प्रख्यापित की गयी थी। इस पॉलिसी का उद्देश्य उद्यमियों को वस्त्र क्षेत्र में निवेश हेतु आकर्षित करना एवं प्रदेश के टेक्सटाइल उद्योग को बढावा देना था। इस हेतु निवेशकों के लिये आकर्षक अनुदान का प्रावधान किया गया, जिस कारण बड़ी संख्या में निवेशकों ने वस्त्र क्षेत्र में निवेश किया। इस सम्बन्ध में कुछ वस्त्र इकाईयों द्वारा पॉलिसी की कट ऑफ तिथि से पूर्वनिवेश किया गया है। आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग के पत्र संख्या-1129/नियोजन-टेक्स0 पालिसी-2017/2024-25 दिनांक 22-11-2024 एवं पत्र संख्या-1913/नियोजन-टेक्स0 पालिसी-2017/2024-25 दिनांक 26-03-2025 द्वारा 26 इकाईयों की सूची उपलब्ध करायी गयी, जिनके द्वारा आंशिक निवेश पॉलिसी की कट ऑफ तिथि से पूर्व किया गया है। इन पर लगभग रू0 60.00 करोड़ का व्यय भार आयेगा।

2- इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि ऐसी इकाईयों जिनके द्वारा उत्तर प्रदेश हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एवं गारमेन्टिंग पॉलिसी-2017 के अन्तर्गत पॉलिसी आने के बाद आवेदन किया गया है एवं जिनमें आंशिक निवेश पॉलिसी-2017 के प्रारम्भ की तिथि 13-07-2017 से पूर्व (लघु व मध्यम इकाई के लिये 03 वर्ष, वृहत इकाई के लिये 04 वर्ष एवं मेगा व मेगा प्लस के लिये 03 वर्ष) भी किया गया हो, किन्तु वाणिज्यिक उत्पादन पॉलिसी की प्रभावी तिथि के उपरांत किया गया है, को उत्तर प्रदेश हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एवं गारमेन्टिंग पॉलिसी-2017 के अन्तर्गत अनुमन्य करते हुए यथोचित अनुदान प्रदान किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एवं गारमेन्टिंग पॉलिसी-2017 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों को उपरोक्तानुसार निस्तारित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनिल कुमार सागर)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक-तदैव।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर।
4- निदेशक, रेशम निदेशालय, लखनऊ।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुरभि सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।